न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 34/2017/जिला टोंक

घनश्याम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी बडला तहसील देवील जिला टोंक।

—अपीलांट

बनाम

1. नारायण पुत्र स्व0 हरगोपाल जाति जाट निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक
2. केसर पत्नि स्व0 हरगोपाल जाति जाट निवासी बडला तहसील देवली जिला टोंक
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक।

—रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक दिनांक 09.06.2016 जो प्रकरण संख्या 200/2016 उनवान नारायण बनाम तहसीलदार देवली में पारित किया गया।

———————————————————

उपस्थित अभि0:— श्री वैभव पारिक(अपीलांट अभि0)
श्री हेम सिंह राठौड़(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः—30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बड़ला तहसील देवली जिला टोंक के खसरा नम्बर 189 रकबा 1.68 हे0, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.45 हे0, खसरा नम्बर 2037/191 रकबा 1.76 हे0 भूमियों बाबत वर्तमान रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2016 को स्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी देवली के उक्त आदेश दिनांक 09.06.2016 में दर्ज खसरा नम्बर 2037/191 रकबा 1.76 हे0 से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उसे पक्षकार नहीं बनाया गया।

2. न्यायालय सहायक कलक्टर टोंक के यहां पर एक वादपत्र अपीलांट द्वारा धारा 81 व 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत कर दिनांक 28.03.1980 को डीक्री प्राप्त की थी। उस वक्त अलग—अलग तकासमा करने बाबत आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया था। दिनांक 31.08. 2000 को तहसीलदार द्वारा एक बार फिर पूर्व डीक्री को नजरअंदाज करते एक बार फिर तकासमा करने के आदेश कर दिया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की है। जो दिनांक 08.11.2002 को खारिज की। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने आरएए न्यायालय टोंक के यहां पर अपील प्रस्तुत की। जो उनके द्वारा दिनांक 11.02.2004 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार देवली को रिमाण्ड किया। आरएए के उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 29.07.2004 को यथास्थिति का आदेश दिया गया। जिसकी अगली तारिक 27.06.2017 नियत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश प्रदान करके भारी भूल की है। अपीलांट खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 2037/191 रकबा 1.76 हे0 का खातेदार काश्तकार होने के बावजूद उसे सुने बिना पत्थरगढ़ी का गलत आदेश प्रदान किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी देवली के आदेश दिनांक 09.06.2016 के बाबत खसरा नम्बर 2037/191 रकबा 1.76 हे0 के हद तक निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा 96 सीपीसी व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने आवश्यक एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में मानने बाबत निवेदन किया है तथा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई है। साथ ही एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र बाबत एवं इसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति की मांग की है। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हल्का पटवारी से दिनांक 02.06.2017 को विवादित निर्णय दिनांक 09.06.2016 की जानकारी होने पर उनके द्वारा नकल उसी दिन प्राप्त कर दिनांक 14.06.2017 को अपील दायर कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जायें।

अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किये गये। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई, अपीलांट की ओर से अभि0 श्री वैभव पारिक तथा रेस्पो0 की ओर से अभि0 उपस्थित हुए। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि पत्थरगढ़ी के प्रकरण में हमें पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि हम आवश्यक पक्षकार थे। पूर्व में दायर वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 जो कि राजीनामें के आधार पर दिनांक 28.03.1980 को निर्णित हो चुका था। उस निर्णय के आधार पर पुराने खसरा नम्बर 114,115,116 जिसके नये खसरा नम्बर 2037 बने है, वह मेरे कब्जे में है। दिनांक 31.08.2000 को तहसीलदार द्वारा फिर नया आदेश जारी किया गया। जिसकी अपील ए0डी0एम टोंक के यहां की जिनके द्वारा दिनांक 08.11.2002 को हमारी अपील खारिज कर दी जिसके विरूद्ध हमने आरएए टोंक में अपील की जिसे दिनांक 11.02.2004 द्वारा स्वीकार करते हुए पुराने तकासमें को सही मानते हुए द्वितीय तकासमें को निरस्त किया। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा (काशीराम, हरगोपाल, दयाराम) रिवीजन किया गया। जिसमें उन्हें यथास्थिति का आदेश प्राप्त हुआ। जो दिनांक 11.01.2018 को निरस्त कर दिया गया। उसके विरूद्ध ये लोग फिर रिव्यू में दिनांक 03.03.2022 को राजस्व मण्डल अजमेर गये।

बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर के हम खातेदार है तथा आदेश की पालना हो चुकी है। मौके पर पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। खसरा नम्बर 2037 हमारे नाम दर्ज है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96,151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार विवादित खसरा नम्बर पर उसका कब्जा एवं काश्त है तथा वह व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जायें। बहस के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य बंटवारे बाबत प्रकरण पूर्व में निर्णित हो चुके है तथा इस पर भी पक्षकारों के मध्य खसरा नम्बर 2037 हेतु विवाद चला आ रहा है। राजस्व मण्डल तक प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जाता है। अतः अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार पटवारी द्वारा जून 2017 में उसे जानकारी दी गई तब उसे पता लगा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उसके पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 02.06.2017 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उसी दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested

नकल प्राप्त हो गई तथा उसके तुरंत बाद अभिभाषक से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जायें। न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा दिनांक 14.06.2017 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण 200/2016 में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अतः उसे निर्णय की जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित खसरा नम्बर पर अपीलांट का कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट अग्रिम कार्यवाही करने पर उतारू है। रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण संख्या 200/2016 का अवलोकन किया। दिनांक 27.05.2016 को उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 09.06.2016 को राजस्व लोकअदालत कैम्प मालेड़ा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दिनांक 09.06.2016 को नायब तहसीलदार नासीरदा में प्रार्थना पत्र बाबत सहमति प्रकट करने बाबत उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा निर्णय पृथक से लिखवाया गया। उक्त निर्णय के अनुसार नकल जमाबंदी 2071–74 के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 123 में पाई गई तथा उसके खसरा नम्बर 189(रकबा 1.46 हे0), 190(रकबा 1.45 हे0),2037/191(रकबा 1.76 हे0) ग्राम बड़ला की भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत आदेश जारी किया गया था।

अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बर को पूर्व बटवारा डिक्री दिनांक 28.03.1980 से अपने पक्ष मे होना बताया तथा यह भी कहा है कि तहसीलदार द्वारा पुनः 31.08.2000 को पुनः बंटवारा कर दिया गया है। इससे संबंधित न्यायालय प्रकरण विचाराधीन होकर अलग–अलग स्तर पर चल रहे है। जो कि एक पृथक विषय है। वर्तमान में चूंकि विवादित खसरा नम्बर रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वह पत्थरगढ़ी करवाने का हकदार है। रेस्पोडेंट अभिभाषक के अनुसार पत्थरगढ़ी की पालना भी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इन्फैक्सियस है। अपीलांट को इस स्टैज पर कोई लाभ/अनुतोष न्यायालय प्रदान नहीं कर सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

कियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन प्रकरण संख्या 200/2016 उनवानी प्रकरण नारायण बनाम तहसीलदार देवली निर्णय दिनांक 09.06.2016 अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी देवली का निर्णय दिनांक 09.06.2016 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक .30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर